

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004
-:: रिज्यू में पारित आदेश ::-

भोपाल, दिनांक 31 /01/2019.

क्रमांक 217/859/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 29/11/2018 एवं 31/11/2018 द्वारा अमान्य किया गया था।

4. अमान्य किये गये प्रस्तावों के विरुद्ध रिज्यू के अन्तर्गत एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन रिज्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15/01/2019 निर्धारित की गई थी, निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा "आन-लाईन रिज्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की गई गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राप्त "रिज्यू" आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त "रिज्यू" आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, यथा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक संस्था के अध्यक्ष/प्राचार्य के साक्षात्कार तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में "रिज्यू" के परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

| सरल क्रमांक | बिन्दु क्रमांक | विवरण | टीप |
|-------------|---|---|-----|
| 1 | विश्वविद्यालय का नाम | महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन | |
| 2 | समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम | श्री पीताम्बरा पीठ, दतिया | |
| 3 | प्रस्तावित/संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम | पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय दतिया | |
| 4 | अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय | आचार्य स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष फलित ज्योतिष, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष व्याकरण, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष संस्कृत साहित्य, | |
| 5 | अमान्य करने का कारण | निर्धारित समय सीमा तक कमी पूर्ति नहीं पूर्ण करने के कारण आवेदन अमान्य किया गया। | |

| 6 | "रिव्यू" पश्चात् आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
|---|--|--|--|
| 7 | मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय | निरंक | निरंक |
| 8 | सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय | आचार्य स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष फलित ज्योतिष स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष व्याकरण स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष संस्कृत साहित्य | तीन माह में पंजीकृत समिति की अद्यतन सूची प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर रिव्यू के अंतर्गत आवेदित पाठ्यक्रम सशर्त मान्य। |
| 9 | अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय | निरंक | निरंक |

8. "रिव्यू" में मान्य पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/02/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की जाती है, अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित समयसीमा में संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. सशर्त मान्य किये गये प्रकरणों पर लगाई गई शर्त शैक्षणिक सत्र 2019-20 आरम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये। औचक निरीक्षण में शर्त पूरी न होने पर महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही संभावित होगी।

10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

12. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/02/2019 से 15/02/2019 निर्धारित है, इस अवधि में प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के नाम से सकारण अपील आवेदन संबंधित शाखा के ई-मेल "affil-he@mp.gov.in" पर प्रेषित करते हुए अपील दर्ज की जा सकती है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ० क्रमांक 218 /859/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक 31 /01/2019.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल म०प्र०
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म०प्र०)।
- 6- कुल सचिव, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन (म०प्र०)।
- 7- प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया (अग्रणी) (म०प्र०)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की ओर विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.